डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना, डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मई 1979—वैशाख 27, शके 1901

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मई 1979

क्र. 13152-इक्कीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 9 मई 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९७९

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९

विषय-सूची

धाराएं

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

२. वे विभागीय जांचें जिनको कि यह अधिनियम लागू होगा:

३. परिभाषाएं.

४. धारा ५ में विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५. प्राधिकृत जांच प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति.

६. वे प्रादेशिक सीमाएं जिनमें कि उन शक्तियों का, जो कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट की गई हैं, प्रयोग किया जा सकेगा.

७. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९७९

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९

[दिनांक ९ मई १९७९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ मई, १९७९ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

विभागीय जांचों में साक्षियों को हाजिर कराये जाने तथा दस्तावेजों को पेश कराये जाने के लिए तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

वे विभागीय जांच जिनको कि यह अधिनियम लागू होगा.

२. इस अधिनियम के उपबन्ध प्रत्येक ऐसी विभागीय जांच को लागू होंगे जो—

(क) ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जाय जो कि राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं में या लोक पदों पर नियुक्त किये गये हों;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जाय जो कि राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त किये जाकर निम्नलिखित की सेवा में हों या निम्नलिखित से वेतन प्राप्त करते हों—

(एक) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) कोई भी निगम जो राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण हो;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (क्रमांक १ सन् १९५६) की धारा ६१७ के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी जिसमें कि समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित हो या कोई भी ऐसी कम्पनी जो ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी हो;

(चार) मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन हो.

परिभाषाएं.

३. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विभागीय जांच" से अभिप्रेत है कोई ऐसी जांच, जो—

(एक) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन तथा अनुसार की गई हो; या

(दो) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन बनाये गये या भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१३ के अधीन प्रवृत्त बने रहे किसी नियम के अधीन तथा अनुसार की गई हो;

(ख) "जांच प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त किया गया हो कि वह कोई विभागीय जांच करे और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी आता है जो ऐसी जांच करने के लिए किसी ऐसी विधि या नियम द्वारा या उसके अधीन, जो कि तत्समय प्रवृत्त हो, सशक्त किया गया हो।

४. (१) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी विभागीय जांच के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को साक्षियों के रूप में समन किया जाय या उनसे कोई दस्तावेज मंगवाई जाय, वहां वह लिखित आदेश द्वारा, जांच प्राधिकारी को ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उस शक्ति का, जो कि धारा ५ में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और तदुपरि जांच प्राधिकारी विभागीय जांच के किसी भी प्रक्रम पर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

प्राधिकृत करने की सरकार की शक्ति.

(२) उस व्यक्ति के संबंध में, जिसके कि विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी है उससे अनिम्न ऐसा प्राधिकारी भी, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, उस शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो कि उपधारा (१) द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त की गई हो।

५. (१) प्रत्येक जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८) के अधीन निहित होती हैं, अर्थात्:—

जांच प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति.

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री के, जो कि साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य है, प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिये अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिये कमीशन निकालना.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जांच प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, १९५९ (क्रमांक ३८ सन् १९५९) की धारा २ के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक को, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की धारा ३ के अधीन गठित किये गये किसी तत्स्थानी नवीन बैंक को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कम्पनी को, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, १९७६ (क्रमांक २१ सन् १९७६) के अधीन गठित किये गये किसी रीजनल रूरल बैंक को, एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन एक्ट, १९६३ (क्रमांक १० सन् १९६३) के अधीन गठित किये गये एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ५१ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई किसी बैंककारी संस्था को इस बात के लिये विवश नहीं करेगा कि वह,—

(क) कोई ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें, जिनके कि सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, समनुषंगी बैंक, तत्स्थानी नवीन बैंक, बैंककारी कम्पनी, रीजनल रूरल बैंक, एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन या कोई अधिसूचित बैंककारी संस्था यह दावा करती हो कि वे गोपनीय प्रकार की हैं, पेश करे, या

(ख) ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग बनावे; या

(ग) ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों का, यदि पेश की गई हों, अपने समक्ष के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण करावे.

(३) प्रत्येक ऐसी आदेशिका की, जो किसी साक्षी की हाजिरी के लिये या किसी दस्तावेज के पेश किये जाने के लिये किसी जांच प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो, तामील उस व्यक्ति पर, जिसका कि उसमें नाम दिया गया हो या तो डाक द्वारा की जा सकेगी या इस प्रकार की जा सकेगी मानो कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५, सन् १९०८) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांच प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 345 तथा धारा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायगा.

वे प्रादेशिक सीमाएं जिनमें कि उन शक्तियों का, जोकि धारा 5 में विनिर्दिष्ट की गई हैं प्रयोग किया जा सकेगा.

6. धारा 5 में विनिर्दिष्ट की गई शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जांच प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता का विस्तार उस राज्य क्षेत्र की, जिस पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, सीमाओं तक रहेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जायगा.

भोपाल, दिनांक 17 मई 1979

क्र. 13153-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14 सन् 1979) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. भट्ट, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 1979

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) ADHINIYAM, 1979

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Departmental inquiries to which Act shall apply.
3. Definitions.
4. Power of State Government to authorise exercise of powers specified in section 5.
5. Power of authorised inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of documents.
6. Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.
7. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1979

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) ADHINIYAM, 1979

[Received the assent of the Governor on the 9th May, 1979; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary, dated the 17th May, 1979.]

An Act to provide for the enforcement of attendance of witnesses and production of documents in Departmental inquiries and for matters connected therewith or incidental thereto

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint.

Departmental inquiries to which Act shall apply.

2. The provisions of this Act shall apply to every departmental inquiry made in relation to,—

(*a*) persons appointed to public services or posts in connection with the affairs of the State;

(*b*) persons who, having been appointed to any public service or post in connection with the affairs of the State, are in service or pay of,—

(*i*) any local authority;

(*ii*) any corporation established by or under any law made by the State Legislature and owned or controlled by the State Government;

(*iii*) any Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) in which not less than fifty one per cent. of the paid up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary of such Government company;

(*iv*) any society registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), which is subject to the control of the State Government.

Definitions.

3. For the purposes of this Act,—

(*a*) "departmental inquiry" means an inquiry held under and in accordance with—

(*i*) any law made by the State Legislature or any rule made thereunder; or

(*ii*) any rule made under the proviso to article 309 or continued under article 313, of the Constitution of India.

(*b*) "inquiring authority" means an officer or authority appointed by the State Government or by any officer or authority subordinate to that Government to hold a departmental inquiry, and includes any officer or authority who is empowered by or under any law or rule for the time being in force to hold such inquiry.

Power of State Government to authorise exercise of powers specified in section 5.

4. (1) Where the State Government is of opinion that for the purpose of any departmental inquiry it is necessary to summon as witnesses, or call for any document from, any class or category of persons, it may, by an order in writing, authorise the inquiring authority to exercise the power specified in section 5 in relation to any person within such class or category and thereupon the inquiring authority may exercise such power at any stage of the departmental inquiry.

धारा-4 (3) लोप

(2) The power conferred on the State Government by sub-section (1) may also be exercised by such authority, not being an authority inferior to the appointing authority, in relation to the person against whom the departmental inquiry is being held, as the State Government may, by notification, specify in this behalf.

Power of inquiring authority to enforce attendance of witnesses and production of documents.

5. (1) Every inquiring authority ("authorised inquiring authority") shall have the same powers as are vested in civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath ;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence;

(c) the requisitioning of any public record from any court of office;

(d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the inquiring authority shall not compel the Reserve Bank of India, the State Bank of India, any Subsidiary Bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959), or any corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949), a Regional Rural Bank constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 (No. 21 of 1976), Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (No. 10 of 1963) and any banking institution notified by the Central Government under section 51, of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949),—

(a) to produce any books of account or other documents which the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the subsidiary bank, the corresponding new bank, the banking Company, the Regional Rural Bank, the Agricultural Refinance and Development Corporation or any notified banking institution claims to be of a confidential nature; or

(b) to make any such books or documents a part of the record of the proceedings of the departmental inquiry; or

(c) to give inspection of any such books or documents, if produce, to any party before it or to any other person.

(3) Every process issued by an inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document may be served on the person named therein either by post or as if it were summons issued by a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(4) Every inquiring authority making any departmental inquiry under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

Territorial limits in which powers specified in section 5 may be exercised.

6. For the purpose of exercising the powers specified in section 5, the territorial jurisdiction of every inquiring authority shall extend to the limits of the territory to which this Act extends.

Power to make rules.

7. (1) The State Government may, by notification, make rules, for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1979

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९९७.

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७.

[दिनांक 29 मार्च, 1997 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 5 अप्रैल, 1997 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७ है.

धारा ४ का लोप. २. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १४ सन् १९७९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा ४ के अधीन प्राधिकृत किये गये प्रत्येक जांच प्राधिकारी (जो कि इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत जांच प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है) के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जांच प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं";

(तीन) उपधारा (२), (३) तथा (४) में जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकृत" आया हो वहां उस शब्द का लोप किया जाए.

धारा ६ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 1997

क्र. 3439-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम 1997 (क्रमांक 16 सन् 1997) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 1997

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESH KARAYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 1997.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 1997; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th April, 1997].

An Act to amend the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 1997. **Short title.**

2. Section 4 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted. **Omission of Section 4.**

3. In Section 5 of the Principal Act,— **Amendment of Section 5.**

(i) in the marginal heading the word "authorised" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), for the words, figure and brackets "Every inquiring authority authorised under Section 4 (hereinafter referred to as the "authorised inquiring authority)" the words "Every inquiring authority" shall be substituted;

(iii) in sub-sections (2), (3) and (4), the words "authorised" wherever it occur shall be omitted.

4. In Section 6 of the Principal Act, the word "authorised" shall be omitted. **Amendment of Section 6.**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी, 1981.

एफ क्र. 6-1/81/3/1. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14 सन् 1979) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 10 फरवरी, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(बी0 जे0 हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

*****

NOTIFICATION

BHOPAL, Dated the 5 FEBRUARY'81

F.No. 6-1/81/3/I : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyaon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979(No.14 of 1979), the State Government hereby appoints the 10th February,1981 as the date on which the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(B.J. Heerjee)
Secretary to Government
Madhya Pradesh,
General Administration Department

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अ धि सू च ना

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी, 1981.

एफ क्र. 6-1/81/3/1 : मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14, सन् 1979) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1-संक्षिप्त नाम:- ये नियम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) नियम, 1981 कहलाएंगे।

2-परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14, सन् 1979),

(ख) "फार्म" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न फार्म,

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

3- साक्षी को समन करने तथा उसको हाजिर कराने के लिए प्रक्रिया :- जांच प्राधिकारी, जिसमें अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित है, विभागीय जांच में सिविल प्रक्रिया-संहिता, 1908 के आदेश सोलह में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो साक्षी को समन करने तथा उसे हाजिर कराने और उससे आनुषंगिक मामलों के प्रयोजन के लिये आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

=2=

4- धारा 4 §1§ के अधीन आदेश का फार्म:- धारा 4 की उपधारा §1§के अधीन आदेश फार्म एक में होगा ।

5- धारा 4 §2§ के अधीन अधिसूचना का फार्म :-धारा 4 की उपधारा §2§ के अधीन अधिसूचना फार्म दो में होगी ।

6- समनों की तामील का ढंग:- इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन की तामील संबंधित जिला न्यायाधीश की मार्फत की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए समन फार्म तीन में एक पत्र के साथ जिला न्यायाधीश को अग्रेषित किए जाएंगे ।

7- धारा 5§1§ §क§ के अधीन समन की विषय वस्तु:- इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन:-

§क§ दो प्रतियों में होगा;

§ख§ जांच प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा;

§ग§ जांच प्राधिकारी की कार्यालयीन मुहर लगाकर मुहरबन्द किया जाएगा।

§घ§ वह तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट होगा जिस पर समन किये गए व्यक्ति के हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तथा उसमें इस बात का भी विनिर्देश होगा कि क्या उसकी हाजिरी साक्ष्य देने के प्रयोजन से या कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री का पता लगाने तथा उसे प्रस्तुत करने के प्रयोजन से या दोनों प्रयोजनों के लिये आवश्यक है; और ।

§ङ•§ जांच प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित तथा हस्ताक्षरित होगा; तथा तामील की जाने के लिये उसे डाक द्वारा उस जिला न्यायाधीश को भेजा जाएगा जिसके कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह विनिर्दिष्ट व्यक्ति, जिस पर ऐसे समन की तामील की जानी है; वस्तुत: निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है । समनों का संज्ञान करने में जिला

न्यायाधीश को समर्थ बनाने के लिये अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना, जिसमें जांच प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न की जा सकेगी।

8-आदेशिका की तामील साक्षी पर व्यक्तिगत रूप में या आदेशिका की तामील करने वाले के द्वारा या डाक द्वारा की जाएगी।

§1§ प्रत्येक ऐसी आदेशिका की, जो किसी साक्षी की हाजिरी के लिये या किसी दस्तावेज के पेश किये जाने के लिए किसी प्राधिकृत जांच प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा §3§ के अधीन जारी की गई हो, तामील उस व्यक्ति पर, जिसका कि उसमें नाम दिया गया हो, कोया तो डाक द्वारा की जा सकेगी या इस प्रकार की जा सकेगी मानों कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 §क्रमांक 5 सन् 1908§ के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो ।

§2§ अधिनियम की धारा 5 की उपधारा §3§ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आदेशिका की तामील आम तौर से पहने रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा की जाएगी ।

§3§ यदि उपनियम §2§ के अनुसार तामील की गई आदेशिका डाक द्वारा परिदत्त किये गये बिना ही वापस आए तो नियम 4 के खण्ड §2§ में उपबंधित किये गये अनुसार जैसा कि जांच प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए, आदेशिका की तामील या तो राजस्व पुलिस द्वारा या जिला न्यायाधीश की मार्फत आदेशिका की तामील करने वाले के द्वारा कराई जाएगी ।

9- जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अवलंब लेने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :- विभागीय जांच के समक्ष साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश किये जाने का कार्य मामूली तौर से अब तक उपबंधित रीति से सुनिश्चित किया जाता रहेगा । विभागीय जांच के मामले में जहां जांच प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि साक्षी के रूप में किसी

व्यक्ति को समन करने या उसके पास से किसी दस्तावेज को मंगाना आवश्यक है और साक्षी के रूप में ऐसे व्यक्ति की हाजिरी या ऐसे दस्तावेज का पेश किया जाना अन्य ढंग से सुनिश्चित नहीं हो सकेगा तो वह ऐसा करने के कारणोंको अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के संबंध में धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों को प्रयोग में लाने हेतु अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार को लिखेगा ।

10-धारा 5 के अधीन जांच अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति॰ अधिनियम की धारा 5 के अधीन जांच अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा उस दशा में किया जाएगा जबकि उसकी यह राय हो कि किसी विभागीय जांच के प्रयोजनों के लिये अधिनियम की धारा 2 के खण्ड §क§ तथा §ख§ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में ऐसा करना आवश्यक है ।

फार्म-एक
§ नियम 4 देखिये §

क्रमांक॰..............।

मध्यप्रदेश शासन
..............विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक..........

चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि श्री.................. के संबंध में विभागीय जांच के प्रयोजन के लिये साक्षियों के रूप में....................को समन करना §बुलाना§ और/या.......... ....से दस्तावेज मंगवाना आवश्यक है।

=5=

अतएव, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14, सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्ति ऊपर नामित व्यक्ति के संबंध में प्रयोग में लाने के लिये श्री.........., जांच प्राधिकारी को, एतद्द्वारा, प्राधिकृत करती है।

फार्म-दो
(नियम 5 देखिए)

क्रमांक..............

मध्यप्रदेश शासन
..............विभाग,

भोपाल, दिनांक..............

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार.............. (उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है) के विरुद्ध की जाने वाली विभागीय जांच के प्रयोजनों के लिये ....को (यहां प्राधिकारी का नाम लिखें) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

फार्म - तीन
(नियम 6 देखिये)

प्रति,

(संबंधित न्यायाधीश का नाम तथा पता)

महोदय,

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 14 सन् 1979) की धारा 5 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन साक्षी...... ....(नाम)..............(पता) पर तामील के लिये समन दो प्रतियों में इसके साथ अग्रेषित किया है। आपसे निवेदन है कि उक्त साक्षी पर उक्त समन की एक प्रति तामील करवाई जाय और उक्त साक्षी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित मूलप्रति उस पर आपके द्वारा तामीली के विवरण के पृष्ठांकन सहित लौटायें।

2- मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार..........विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक..........दिनांक.........की एक प्रति, जिसमें निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, इसके साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर............
पद नाम..............

नाम तथा पदनाम की रबर की मोहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. जे. हीरजी

(बी0 जे0 हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

साक्षी को समन

(मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979 की धारा 5 (3))

श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम)-------- ----(पद नाम)----- जो कि (विभाग/कार्यालय)---- ----------में कार्यरत हैं, के संबंध में की जा रही विभागीय जांच ।

प्रति,

(साक्षी का नाम तथा पता)

चूंकि उपरिकथित विभागीय जांच में----------(प्रतिवादी/संबंधित विभाग का नाम) की ओर से आपकी हाजिरी------- ------(साक्ष्य देने/दस्तावेज पेश करने) के लिये अपेक्षित है, अतएव आपको, एतद्द्वारा, अपेक्षित किया जाता है कि आप 19------------ के (मास का नाम) --- ---------के--- ----- ---दिवस को--- -- --- बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपसंजात हों अपने साथ -----------(अपेक्षित दस्तावेज का वर्णन) लाएं (या इस जांच प्राधिकारी को भेजें ।

आपका यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता आपकी साक्ष्य की समाप्ति पर, इस जांच प्राधिकारी द्वारा चुकाया जाएगा । यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल रहेंगे तो आप गैरहाजिरी के उन परिणामों के अध्यधीन हो जाएंगे जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 के नियम 12 में दर्ज हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस जांच प्राधिकारी की मुद्रा सहित आज 19------------के (मास का नाम)--------के--------- दिवस को निकाला गया ।

जांच प्राधिकारी,

नोट:- (1) यदि आपको दस्तावेज प्रकट करने तथा पेश करने या अन्य सामग्री के लिये ही, न कि साक्ष्य देने के लिये, समन किया गया हो और यदि आप पूर्वोक्त दिन और समय को इस जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रकट किये जाने वाले तथा पेश किये जाने वाले ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री को, पेश करवा दें तो यह समझा जायगा कि आपने समन का अनुपालन किया है।

(2) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की दरें:-

विभागीय जांच में साक्षियों को बुलाए जाने पर उन्हें यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 3024/चार/आर·दो/भोपाल दिनांक 29-11-1965 के अनुसार दिया जाएगा। उक्त पृष्ठांकन की प्रतिलिपि संलग्न है।

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
*****

NOTIFICATION

BHOPAL, Dated the 5 FEBRUARY'81

F.No. 6-1/81/3/1 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title :- These rules may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Niyam, 1981.

2. Definations:- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No.14 of 1979);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "section" means a section of the Act.

3. Procedure for summoning and enforcing attendance of witness:- The inquiring authority who is vested with the powers of a Civil Court under sub-section (1) of section 5 of the Act shall follow in a departmental inquiry the procedure laid down in Order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908, which shall apply mutatis mutandis for the purposes of summoning and enforcing attendance of a witness and for matters ancillary thereto.

....2...

4. Form of order under section 4(1):- An order under sub-section (1) of section 4 shall be in Form I.

5. Form of notification under section 4(2):- A notification under sub-section (2) of secti... shall be in Form II.

6. Mode of service of summons:- Every summons issued under the Act shall be served through the District Judge Concerned and for that purpose the summons shall be forwarded to the District Judge with a letter in Form III.

7. Contents of summons under section 5(1)(a):- Every summons issued under the Act shall-

(a) be in duplicate;

(b) be signed by the enquiring authority;

(c) be sealed with the official seal of the enquiring authority;

(d) specify the date time and place at which the person summoned is required to attend and also whether his attendance is required for the purpose of giving evidence or to discover and produce a document or other material, or for both the purposes; and

(e) be endorsed and signed by enquiring authority and be sent by post to the District Judge within the local limits of whose Jurisdiction the specified person, on whom such summons is to be served, actually resides or carries on business or personally works for gain, for service-

To enable the District Judge to take cognizance of the summons, a copy of the notification issued under section 4 of the Act authorising the enquiring authority to exercise the powers specified in section 5 of the Act, may also be enclosed.

8. Process to be Served on the witness in person or by Process Server or by postal dak. (1) Every process issued by the authorised inquiring authority for the attendance of any witness or for the production of any document under sub-section(3) of section 5 of the Act may be served on the person named therein either by post or as if it were a summons issued by a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908).

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 5 of the Act, the process should ordinarily be first served by registered post, acknowledgement due.

(3) If the process served in accordance with sub-rule (2) is returned undelivered by the post, then the process shall be served either by Revenue Police or by Process Server through the District Judge, as may be considered suitable by the inquiring authority, as provided in clause (2) of rule 4.

9. Procedure for seeking permission to invoke the provisions of the Act by the inquiry officer:- Attendance of witnesses and production of documents before a departmental inquiry shall ordinarily continue to be secured in the manner as hitherto provided. Where in the case of a departmental inquiry, the inquiring authority is satisfied that it is necessary to summon a person as a witness or to call for a document from him and that the attendance of such person as a witness or production of such document may not

otherwise be secured, it may, after recording the reason for doing so, make a reference to the State Government seeking authorisation under section 4 of the Act to exercise the powers specified in section 5 in relation to such person.

10. Power to authorise an inquiring Officer under Section 5:- The power to authorise an inquiring officer under section 5 of the Act shall be exercised by the State Government if it is of the opinion that for the purposes of any departmental inquiry it is necessary to do so in relation to any employee or class or category of employees specified in clauses (a) and (b) of section 2 of the Act.

FORM - I

(See rule 4)

No. ....

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

......................Department

*****

ORDER

Bhopal, Dated the ..../

WHEREAS, the State Government is of opinion that for the purposes of the departmental inquiry in relation to Shri ______ ________________________, it is necessary to summon .... as witnesses and/or call for document from ....

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Posh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979(No.14 of 1979), the State Government hereby authorises Shri ________________ the inquiring authority to exercise the powers specified in section 5 of the said Adhiniyam in relation to the above named person.

....5...

FORM - II

(See rule 5)

No. ....

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

.... DEPARTMENT

*****

BHOPAL, Dated the ..../

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979), the State Government hereby specifies that -------------------- [X] to exercise the powers conferred on it by sub-section (1) of section 4 of the said Act for purposes of the departmental inquiry held against **--.

=.=

[X] - Specify the name of the authority.

** - Specify the name of the person against whom departmental inquiry is being held.

....6...

FORM - III

(See rule 6)

To

(Name and address of the Judge concerned).

Sir,

Under the provisions of sub-section (3) of section 5 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979) a summons in duplicate is herewith forwarded for service on the witness ________________ (Name) ______________________________ (address). You are requested to cause a copy of the said summons to be served upon the said witness and return the original to me duly signed by the said witness, with a statement of service endorsed thereon by you.

2. A copy of the notification No. ________________ dated ____________ issued by the State Government in ______________ the Department ____________ under sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979 conferring on the undersigned the powers specified in section 5 of the said Act, is enclosed.

Signature ____________________
Designation ____________________

Rubber Stamp bearing name and designation.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(B.J. Heerjee)
Secretary to Government
Madhya Pradesh,
General Administration Department

SUMMON TO WITNESS

(Under sub-section 3 of section 5 of the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979).

...

Departmental inquiry held against Shri/Smt./Kumari ____________________(name) ____________(designation), working in the __________________(Department/Office).

To

(Name and address of the witness).

WHEREAS, your attendance is required to ____________________ (give evidence/produce documents) on behalf of ________________(name of the defendant/ Department/concerned) in the above departmental inquiry, you are hereby required personally to appear before this inquiring authority on the ______day of ________ (name of the month), 19 , at _____ O'clock in the forenoon/afternoon, and to bring with you (or to send to this inquiring authority) __________________ (description of the documents required).

**Your travelling allowance and daily allowance will be paid by this Inquiring Authority on the conclusion of your evidence. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequences of non-attendance laid down in rule 12 of Order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908.

......2...

Given under my hand and the seal of the inquiring authority this ____________ day of ________ (name of the month), 19 ____.

Inquiring Authority

NOTE:- (i) If you are summoned only to discover and produce a document or other material and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document or other material to be discovered and produced before this Inquiring Authority on the day and hour aforesaid.

(ii) Rates of Travelling Allowance:-

The witness summoned in the departmental inquiry shall be paid travelling and daily allowances according to the endt. No. 3024/IV/R-II/Bhopal dated 29.11.1965 of the Finance Department (copy enclosed).

***

Copy of Government of Madhya Pradesh, Finance Department Memo No. 2269-II-R-II, dated the 20th September, 1965 addressed to the Under Secretary to Government of India, Ministery of Home Affairs, New Delhi and other State Governments and copy endorsed to all Departments of Government of Madhya Pradesh.

*****

Subject:- Reciprocal arrangement with other Governments in regard to travelling and other expenses to witness in Departmental enquiries.

....

Sir,

I am directed to say that for some time past the question of evolving uniform procedure in regard to the payment of Travelling Allowance and other expenses to person appearing as witness in Departmental Enquiries to tender evidence, has been under consideration of the State Government. A copy of the instructions on the subject issued in consultation with your Government is enclosed for information.

Encl:-1

Yours faithfully,
Sd/- S.N. Burse
Under Secretary to Government of Madhya Pradesh, Finance Deptt.

****

No. 3024/IV/R-II/Bhopal, Dated the 29th November 1965
Agrahanyana 7, 1887.

Copy forwarded to:-

All Departments of Government
The President, Board of Revenue, Madhya Pradesh,
All Commissioners of Divisions, Madhya Pradesh,
All Heads of Departments, etc.

...

INSTRUCTIONS RELATING TO PAYMENT OF TRAVELLING AND OTHER EXPENSES TO WITNESS IN DEPARTMENTAL ENQUIRIES.

....

The following instructions are issued to regulate the payment of travelling and expenses to persons appearing as in Departmental Enquiries:-

1. Every person, whether he is a State or Central Government servant or not, who is called to give evidence in a departmental Enquiry by either the Government or the Government servant against whom the enquiry is made shall be entitled to payment of travelling and other expenses as laid down in these instructions.

2. The officer or Board holding the enquiry shall furnish a certificate in form I to every person appearing before him or it to give evidence.

3.(i) Where the witness is a Government servant of this State he shall be entitled to receive, in respect of the attendance before the authority holding the departmental enquiry from the Department under which is serving for the time being, payment of travelling allowance as on tour, under S.R. 112.

(ii) Where the Government servant is called in the departmental enquiry to give evidence as to facts which have come to its knowledge in the discharge of his public duties, the minimum time required to be spent by him on the journey to and from the place where the enquiry is held and the days on which he is required to remain present before the authority holding the enquiry shall be treated as duty. Provided that if the Government servant is on leave the entire time spent shall be treated as part of the leave and he shall not be deemed to have been recalled to duty.

(iii) Where a Government servant is called by any authority holding the departmental enquiry to give evidence as to facts which have come to his knowledge at a time when he was not in Government service, he may be paid travelling allowance as provided in sub-rule (i).

4. Where the witness is a servant of the Government of India or any other State Government, he shall be entitled to receive in respect of the attendance before the authority holding the departmental enquiry, from the Central or the State Government concerned, such travelling allowance and/or daily allowance as may be admissible to him under the rules applicable to him in that behalf in respect of a journey undertaken on tour and the amount so paid shall be paid by this State Government to the Central Government or the State Government concerned who shall raise a debit in respect thereof against this State Government.

5. Where a person who has been a Government servant is called to [illegible] as to facts which have come to his knowledge in [illegible] or a person who is not a State [illegible]

to give evidence before any authority holding a departmental enquiry, such person shall be entitled to claim from the department under whom the Government servant against whom the enquiry is being held for the time being serving, travelling allowance under S.R. 136 at the following rates:-

SUBSISTANCE ALLOWANCE

A. Labour (skilled and unskilled) and other similar persons.	Rs. 1.25 per diem.
B. Artisans, cultivators, shopkeepers and other similar persons.	Rs. 2.00 per diem.
C. Teachers, P leaders, Doctors, Businessmen etc. whose income exceeds Rs. 2.00 p.m.	Rs. 5,00 per diem.

TRAVELLING ALLOWANCE

(1) For journey by road.	All expenses incurred subject to a maximum of 16 Paise per Kilometer.
(2) For journey by rail.	For witness of the class A and B- Third class railway fare and for class C second class railway fare. First class railway fare should be allowed only in exceptional circumstances.

6. The foregoing instructions shall also apply to a person nominated by the Displinary Authority to present the case in support of the charge before the authority holding the departmental enquiry, or assisting the Government servant against whom the enquiry is held in presenting his case, as provided in sub-rule (6) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 vide corresponding sub-rule (8) of Rule 14 of the M.P.Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules 1966. Such person shall be granted a certificate in Form II by the authority holding the Departmental Enquiry.

7. All expenditure on travelling allowance paid to a Government servant under these instructions shall be charged to the head of account to which such Government servant's salary is debitable.

....

FORM - I

This is to certify that Shri (Name, designation, office etc. ....) appeared before me as a witness on ....at (place.............. in the departmental enquiry against Shri (Name, designation etc.) .... and was discharged on ....at (time) ....

Nothing has been paid to him on account of his travelling and other expenses.

Place and date

(Signature)
Disciplinary Authority/Board of Enquiry/Enquiring Officer.

Copy forwarded for information to.........Department/Office.

....

FORM - II

This is to certify that Shri (Name,designation,office etc.) .... attended the proceedings in the departmental enquiry against Shri(Name,designation etc.)..............to present the case in support of the charges to assist the said Shri (Name) .... in presenting his case on .... at ....(Place).

Nothing has been paid to him on account of his travelling and other expenses.

Place and Date:-

(Signature)
Disciplinary Authority/Board of Enquiry/Enquiring Officer.

Copy forwarded to for information to ......Department/Office.

....